109

216

न्यायाल श्रीमान् अध्यक्ष / सदस्य महोदय, राजस्व माण्डल रीवा,

जिला–रीवा (म0प्र0)

विलोपित / विलोपित

R. 2773-II/14

रामजी शाहू पिता रामचरित्र शाहू, उम्र–50 वर्ष, निवासी ग्राम–खुटार, थाना–वैढ़न, तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

..........आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. लालजी तनय फेंकू शाहू, उम्र–46 वर्ष,
2. बुदुन प्रसाद तनय फेकू शाहू, उम्र–43 वर्ष,
3. मीरू प्रसाद तनय फेकू प्रसाद, उम्र–37 वर्ष,
4. फेकू तनय सुमेश्वर शाहू, उम्र–70 वर्ष, विलोपित

सभी निवासी ग्राम–बिहरा, तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

.........अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् एम0सेलवेन्द्रम कलेक्टर सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र0 126 / निगरानी / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 बावत् निरस्त किये जाने आलोच्य आदेश

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सुक्ष्म तथ्य

1. यह कि ग्राम–बिहरा तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0) की आराजी नं0 262 / 1 रकवा 1.61 हे0 के एकमात्र भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी आवेदक है। इस भूमि को वह अपने बाबा सुमेश्वर शाहू से पंजीकृत विभाजन पत्र दिनांक 08 / 06 / 1988 के आधार पर प्राप्त किया था। पक्षकारों के संबंधों को निम्नांकित वंशवृख के माध्यम से स्पस्ट किया जा रहा है–

क्रमशः........2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2773-II / 14** जिला–सिंगरौली

रामजी शाहू/लालजी साहू

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 126/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	